राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः— 4(32)नविवि—ा/2020 जयपुर, दिनांकः— 26 OCT 2020

आज्ञा

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973 (उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प0 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.2.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियमों के अन्तर्गत निम्नलिखित अधीक्षण अभियन्ताओं को कार्यभार संभालने की तिथि से 6 माह तक अथवा विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा चयनित व्यक्ति उपलब्ध होने तक, जो भी शीघ्रतर हो, तक के लिए पूर्णतः अविलम्बनीय/अस्थाई रूप से 37400—67000 पी0बी0—4 (एल—21) में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के पद पर एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता हैः—

1. श्री निरंजन माथुर
2. श्रीमती सुषमा रस्तौगी
3. श्री संजय पूनिया

उक्त आवश्यक अस्थाई रूप से की गई पदोन्नति निम्नलिखि शर्तो के अध्यधीन होगी :—

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक, बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये दी जाती है ।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी ।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता संबंधी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा ।
6. उक्त आवश्यक अस्थाई पदोन्नति केवल नियमित पदोन्नति से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा ।
7. यदि कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक, अपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाये अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरूद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने या विभागीय जॉच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा ले लिया

गया हो तो अस्थाई नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पदावनति के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी /हो जायेगी ।

8. अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यार्थियों के पदों के विरूद्ध तदर्थ पदोन्नत अधिकारी कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 10.10.02 के अनुसार आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर अपने पूर्ववत पद पर नियमानुसार पदावनत कर दिये जायेंगे ।
9. जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सरप्लस अभियंता उपलब्ध होने पर पर अपने पूर्ववत पद पर नियमानुसार पदावनत कर दिये जायेंगे ।
10. पदोन्नत अधिकारियों के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–I

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग
3. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर
4. परियोजना निदेशक, आर0यू0आई0डी0पी0, जयपुर
5. वरिष्ठ शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
6. सचिव, नगर सुधार न्यास,––––––––––––– (समस्त)
7. संबंधित अधिकारी
8. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त शासन सचिव–I